

R.M.M. Law College, Saharsa

Naresbji Anand

L.L.B. Part - II nd

Paper - Ist Family Law

Muslim Law

आधिक प्रक्रिया द्वारा तलाक :-

(1) लिखत :-

पत्नी इस आधार पर तलाक का दावा प्रस्तुत कर सकती है कि उसके पति ने उस पर जोरकर्म का भूठा आरोप लगाया। वाद की सुनवाई के दौरान पति को दो विकल्प उपलब्ध हैं - (i) विचारण की समाप्ति से पहले वह लगाया गया आरोप वापस ले सकता है। अब पत्नी को तलाक नहीं मिल सकेगा। अथवा (ii) वह अपनी बात पर अड़ा रहे। इस स्थिति में उसे शपथ पूर्वक आरोपन करना पड़ेगा। इस पर पत्नी भी निर्दोष होने की शपथ लेगी। इस प्रकार 'परस्पर आरोप - परस्परौप' होने पर न्यायालय विवाह का विषयबन कर देगा। पति पत्नी दोनों स्वस्थ मस्तिष्क से बयस्क होना चाहिए। आरोप भूठा होना चाहिए। पत्नी को विवाह के विषयबन के लिए निश्चित वादप्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें 'भूठा आरोप' लगाने को तलाक मांगने का आधार बनाना होगा। पति द्वारा आरोप लगाने मात्र से अथवा पत्नी द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज करने मात्र से कि पति ने



उस पर गारकर्म का बुरा आरोप लगाया था, तलाक़ पेशी नहीं होगा। उनका विवाह सही हुआ है, फ़ासिद न रहा है। न्यायालय द्वारा विध्वंस का निर्णय देते पर परिणाम अप्रतिशंकरणीय होगा। न्यायालयों द्वारा लिखान का सिद्धांत को मुस्लिम विधि की नैसर्गिक प्रक्रिया की मान्यता प्रदान है। नूरजहाँ ख़ीली व. मोह काजिम अली के बाद में पति द्वारा पत्नी पर मिथ्या आरोप लगाने पर न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में मुस्लिम विवाह विध्वंस अधिनियम 1939 की धारा 2(क) के अंतर्गत विवाह के विध्वंस की डिक्ली पारित कर दी। न्यायधीश भट्टाचार्य ने प्रतिपादित कि लिखान का सिद्धांत लुप्त नहीं हुआ है। यह प्रथा परंपरा पर आधारित है। पति और पत्नी दोनों शपथ लेते हैं कि जो बुरा कहेगा उस पर खुदा का कहर बरसेगा। यदि पति द्वारा लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है तो पत्नी विध्वंस मांगने का आधार रखा देती है, यदि पति आरोप सिद्ध करने में असफल रहता है तो पत्नी तलाक़ प्राप्त कर सकती है, साथ ही भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पति पर मानधनि का चार्ज ला सकती है। पत्नी पर गारकर्म का मिथ्या आरोप लगाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(VIII) के अंतर्गत पत्नी पर चूरा का अपराध बनता है और ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 का प्रथम अपवाद स्वयं लागू नहीं होगा। लिखान सम्बन्धी वाद



(3)

के सबूत का भार पत्नी रहता है। मलिक के अनुसार गढ़ निर्णय मुस्लिम विधि के विधीन है, इस विधि के अनुसार पति को ज़ारत का आरोप सिद्ध करना होता है। अथवा परिणाम गुणगुनी होते हैं।

आरोप वापस लेना: -

पति द्वारा आरोप को वापस लेने के सम्बन्ध में न्यायालयों में परस्पर निरोधी ही मत चल रहे हैं। जजल अहमद व. जमीला स्वातुन के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि मिथ्या आरोपण के आधार पर विवाह के विघ्न का वाद पत्नी द्वारा प्रस्तुत करने से पहले यदि पति आरोप वापस लेता है तो पत्नी के आरोपित वाद को निरस्त करने का पर्याप्त आधार है। पति की आरोप वापस लेने की क्रिया प्रमाणिक श्रद्धे मंत्र से की हुई होना चाहिए, न कि पत्नी के वाद को असफल करने के कपटपूर्ण आशय से। उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसका लगाया आरोप झूठा था और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के विस्वस्त पर उसे अपमान व्यक्त होलने के लिए दण्डित किया जा सकता है। किंतु विवाह का विघ्न नही लगा। कोलकाता उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के पूरा होने से पहले किसी भी समय आरोप का विस्वस्त अनुवात किया। दूसरी ओर मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्णित किया था कि पति के न्यायालयों में वापस



(4)

लेन की प्रक्रिया आसानी से नहीं है। बाद वाले निर्णय में सायाजद ने इस निर्णय को लपटा दिया। मुफ्त बाद से काफी पहले इलाहाबाद उच्च सायाजद ने भी निर्णय किया था कि 1939 में अधिनियम के निर्णय होने के बाद अधिनियम में विरतण्डन का कोई प्रावधान नहीं है।

लिखान पद्धति पर विपत्ती करने (दूर एक लेखक ने कहा है) इस्लामिक विधि तथा वर्तमान कालीन अवस्थाओं के मध्य का अंतर ध्यान देने योग्य है। दो भिन्न पद्धतियाँ एक विशिष्ट क्रिया के किन्तु भिन्न दृष्टिकोण से देखती हैं। लगभग सभी आधुनिक विधि अवस्था में जारकर्म का अप्रमाणित आरोप शून्य परिणाम कारक रहेगा, किन्तु इस्लामिक विधि में उसकी परिणति तलाक में होती है। उसके लीक विपरीत जबकि अधिकतर विधि अवस्था में प्रमाणित जारकर्म का परिणाम विवाह निव्वतन होगा। इस्लाम में लिखान विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा किन्तु मूल इस्लामिक अपराध विधि के अनुसार जारकर्म सिद्ध होने पर पत्नी मृत्युदण्ड की भागी होगी। चूंकि भारत में इस्लामिक अपराध विधि लागू नहीं होती, उसी का अंश लिखान भी लागू देना चाहिए।